



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 1995/चैत्र 11, 1917
No. 195] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1995/CHAITRA 11, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता का कार्यालय
अधिसूचना सं. : 2/95 - सी. शु. (एन. टी.)

मद्रास, 14 मार्च, 1995

का. भा. 287(अ) :—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिमांक 01-07-94 की अधिसूचना सं. 33/94 सी. शु. (एन. टी.) के अन्तर्गत सी. शु. 1962 के खंड (क) धारा 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु राज्य के चेन्नै एम. जी. थार. जिले के, गुम्मिच्चिपून्डी तालुक के "मादरपाक्कम" गांव को भारत

सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा शत-प्रतिशत निर्यातान्मुख उपकरणों को सीमित प्रयोजन के लिए एतद्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अन्तर्गत भाष्यकार केन्द्र घोषित किया जाता है ।

[मि/मि. सं. : 1/VIII/40/5/95 - सी. शु. नि.]

के. पी. श्रीधर रामन्, समाहर्ता-II

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION NO. 2/95—Cus. (NT)

Madras, the 14th March, 1995

S.O. 287(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94-Cus.(NT) dated 1st July, 1994 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under clause (a) Section 152 of Customs Act, 1962 'MADARPAKKAM (Village), Gummidipoondi Taluk, Chengai MGR District in Tamil Nadu is hereby declared to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the limited purpose of setting up 100% EOUs approved by Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Secretariate of Industrial Approval, New Delhi.

[File C. No. VIII/40/5/95-Cus. Pol.]

K. P. SRIDHARA RAMAN, Collector-II